संख्या-259/2018/3095/71-1-2018-जी-89/2017

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनाँक 03 अक्टूबर, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों में ई-हास्पिटल मैनेजमेन्ट सिस्टम लागू किये जाने हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों में ई-हास्पिटल मैनेजमेन्ट सिस्टम लागू किये जाने हेतु लोकल एरिया नेटवर्क इन्फ्रा क्चर के लिए शासनादेश संख्या- 88/2018/1296/71-1-2018-जी-89/2017, दिनॉक 30.03.2018 द्वारा रू0 31,51,27,608.45 (रू0 इक्तीस करोड़ इक्यावन लाख सत्ताइस हजार छः सौ आठ एवं पैतालीस पैसे मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति तथा ई-हास्पिटल हेतु चयनित निविदादाता को निविदा की शर्तो ऑन एवार्ड ऑफ कोनट्रेक्ट के अनुसार, न्यूनतम फर्म द्वारा कोट की गयी धनराशि रू0 31,51,27,608.45 में पॉच वर्ष के मैन पावर पर होने वाले भावी व्यय की कुल धनराशि रू0 3,38,01,408.00 को छोड़ते हुये अवशेष धनराशि रू0 28,13,26,200.45 का 10 प्रतिशत रू0 2,81,32,620.45 का भुगतान मै0 इंस्प्रा इन्टरप्राइज इण्डिया प्रा0 लि0, नई दिल्ली को किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

2- आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2018/367, दिनॉक 07-09-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों में ई-हास्पिटल मैनेजमेन्ट सिस्टम लागू किए जाने के संबंध में मै0 इंस्प्रा इन्टरप्राइज इण्डिया प्रा0 लि0, नई दिल्ली को भुगतान किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर के क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 10,00,00,000/- (रू0 दस करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 7,60,55,440/- (रू0 सात करोड़ साठ लाख पचपन हजार चार सौ चालीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- उपर्युक्तानुसार दी जाने वाली प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को अवमुक्त किये जाने के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनॉक 30 मार्च, 2018 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) इस संबंध में राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों में उपकरणों के क्रय हेतु शासनादेश संख्या-3964/71-1-2017-जी-283/2017, दिनॉक 11-12-2017 तथा शासनादेश संख्या-4090/71-1-2017-जी-243/2017, दिनॉक 28-12-2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) शासनादेश संख्या-88/2018/1296/71-1-2018-जी-89/2017, दिनॉक 30.03.2018 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-15-राजकीय मेडिकल कालेजों में हास्पिटल मैनेजमेण्ट सिस्टम की स्थापना-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनॉक 30 मार्च, 2018 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव।

संख्या:-259/2018/3095(1)/71-1-2018 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, गोरखपुर तथा झॉसी।
4- निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर एवं जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, गोरखपुर तथा झॉसी।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, गोरखपुर तथा झॉसी।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।